

अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय, धालभूम, जमशेदपुर।
BENCH No. - 13
मिस केस संख्या- 494/2020
धारा-107 दं०प्र०सं०

शैफ अंसारी एवं
अन्य - 1

-बनाम-

कमाल रसूल एवं
अन्य - 3


आदेश

14/5/22

अभिलेख आज राष्ट्रीय लोक अदालत में
उपस्थापित किया गया है।

अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है, कि
प्रस्तुत वाद में दोनों/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध निर्गत नोटिस
का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त/अप्रप्त है। इस वाद की
कार्यवाही आरंभ होने के उपरान्त छह महीने से अधिक
समय बीत चुका है। धारा-107 दं०प्र०सं० की कार्रवाई
की वैधानिक अवधि मात्र छह माह का होता है। पुनः
थाना अथवा अन्य किसी श्रोत से शांति भंग होने की
आशंका की कोई सूचना/प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः विचारोपरन्त वाद की कार्यवाही समाप्त की
जाती है। यदि पक्षकार के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट निर्गत
है, तो उसे वापस लिया जाता है।


Member


Member
14/5/2022